रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2011/भाद्र 25, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152

No. 155] DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2011/BHADRA 25, 1933 [N.C.T.D. No. 152

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2011

फा. सं. आईपीवी/जेआर(सी)/स्टेट्यूट/अमेन्ड/2011/245.—गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 26 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय प्रबंधमण्डल कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से (i) विश्वविद्यालय की प्रथम सँविधियों की सँविधि 3 (ख) शीर्षक— 'कुलपति', के उप-खण्ड (6) में यथानिर्धारित कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु और (ii) सँविधि 31 के खण्ड 8, 9, 10, 11 एवं 16 में यथानिर्धारित अध्यापकों की सेवा शर्तों के अन्तर्गत भर्ती नियम, प्रोत्साहन, वेतनवृद्धि और वृत्ति विकास योजना, सेवानिवृत्ति एवम् पुनर्नियोजन से सम्बन्धित दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1(26)स्टैट/आईपीयू.डी.आर.जी./2004 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करते हैं :—

क. प्रथम संविधि 3(ख) का उप-खण्ड 6

वर्तमान उपबन्ध	अनुमोदित संशोधन
कुल सचिव का कार्यकाल उस तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा जिस तिथि को वह अपना पद ग्रहण करता है और एक से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य होगा :	कुल सचिव का कार्यकाल उस तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा जिस तिथि को वह अपना पद ग्रहण करता है और एक से अधिक कार्यकाल के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य होगा :
शर्त यह है कि कुलपत्ति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर नहीं बना रहेगा ।	इसके आगे शर्त यह है कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान सत्तर वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर नहीं बना रहेगा ।

ख. संविधि 31 के खण्ड 8, 9, 10, 11 एवं 16

वर्तमान उपबन्ध	अनुमोदित संशोधन
8. वेतन और भत्ते	
8.1 विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों को, जब तक वे विश्वविद्यालय में अध्यापन के कार्य से जुड़े रहेंगे, आचार्य, उपाचार्य अथवा प्रवक्ता के ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और, पुन: नियुक्त अध्यापकों को छोड़कर, उन्हें ए आई सी टी ई/ यू जी सी के मार्गदर्शी सिद्धांतों, यदि कोई हों तो, के अनुसार प्रबधन मंडल द्वारा समय-समय पर अपनाए या निर्धारित वेतनमानों अथवा वेतनमान के चरणों तथा भत्तों के अनुसार वेतन दिया जाएगा ।	वेतन और भत्ते, उच्चतर शैक्षिक योग्यता के प्रोत्साहन, वार्षिक वेतनवृद्धि, अतीत की सेवा की गणना और वृत्ति विकास योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के दिशानिर्देशों के आधार पर निर्मित किए जा रहे विश्वविद्यालय के विनियम/अध्यादेश से निर्यंत्रित होंगे ।
8.2 उच्च शौक्षिक अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन	
8.2.1 उपाचार्य के रूप में भर्ती के समय विज्ञान/मानविकी संकायों से जुड़े पी.एच.डी. तथा एम. फिल उपाधि धारक अध्यापकों एवं तकनीकी संकाय के पी.एच.डी. तथा एम.ई./एम.टैक. उपाधि धारक अध्यापकों को क्रमश: चार और दो अग्रिम वेतनवृद्धियँ दी जाएंगी । डी. लिट./ डी.एस.सी. उपाधि धारकों को पी.एच.डी. और एम. लिट तथा एम.फिल उपाधि धारकों के समान लाभ दिए जाएंगे ।	
8.2.2 विज्ञान/मानविकी के एम.फिल और तकनीकी संकायों के एम.ई./एम.टैक. उपाधि धारक, जो अपनी भर्ती के दो वर्ष के भीतर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, को एक वेतनवृद्धि की अनुमति होगी ।	
8.2.3 पी.एच.डी. उपाधि धारक उपाचार्य के प्रवरण कोटि प्रवक्ता के ग्रेड में आ जाने पर वह दो अग्रिम वेतनवृद्धियों का पात्र होगा ।	
8.2.4. किसी अध्यापक के अपने सेवा काल में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर लेने पर वह दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ पाने का पात्र होगा ।	
9. वार्षिक वेतनवृद्धियाँ	
9.1 प्रत्येक अध्यापक को जब तक उसकी वेतनवृद्धि को रोका न गया हो, स्वभाविक रूप से जिस माह में उसकी वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि देय हो उसकी पहली तारीख से दी जानी चाहिए । किसी अध्यापक की वार्षिक वेतनवृद्धि तभी रोकी जा सकती है जबकि नियोक्ता प्राधिकारी का यह मत हो कि या तो उसका आचरण अच्छा नहीं है अथवा उसका कार्य संतोषप्रद नहीं है । तथापि लिखित रूप से विशिष्ट कारणों की जानकारी दिए बिना और इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना वेतनवृद्धि को रोका नहीं जाना चाहिए । अध्यापक को यह अधिकार होगा कि उसकी वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि रोके जाने के निर्णय के विरुद्ध वह प्रबंधक मंडल से अपील करें ।	

वर्तमान उपबन्ध

9.2 वेतनवृद्धि के लिए पूर्ण काल-मान के चरण में निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं :

(i) ड्यूटी (काम) की अवधि ।

(ii) किसी अन्य पद पर सेवा, ऐसे पद पर की गई सेवा से इतर जिसका वेतन कम हो, चाहे वह मौलिक क्षमता में की गई हों अथवा स्थानापन्न क्षमता में ।

(iii) असाधारण छुट्टी के अलावा अन्य सभी प्रकार की छुट्टियां ।

(iv) निम्नलिखित आधार पर स्वीकृत असाधारण छुट्टी :

(क) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ।

(ख) दंगों अथवा ऐसे ही किसी कारण से कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर पाने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना ।

(ग) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन से।

(v) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर ।

(vi) विदेश सेवा ।

(vii) कार्यभार ग्रहण करने की अवधि ।

(viii) नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण अवधि ।

10 **वृत्ति विकास**

10.1.1 उपाचार्य (वरिष्ठ मान) के रूप में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम अपेक्षित सेवा अवधि, पी.एच.डी. उपाधि धारकों के लिए चार वर्ष, एम.फिल उपाधि धारकों के लिए पाँच वर्ष और अन्य के लिए उपाचार्य के रूप में छह वर्ष है एवं उपाचार्य (प्रवरण कोटि) अथवा प्रवक्ता के ग्रेड का पात्र होने के लिए उपाचार्य (वरिष्ठ मान) के रूप में न्यूनतम अपेक्षित सेवा अवधि पाँच वर्ष की होगी ।

10.1.2 प्रवक्ता और उससे उच्च पद पर पदोन्नत होने के लिए पात्रता का न्यूनतम आधार पी.एच.डी. होगा । ऐसे व्यक्ति जिनके पास पी.एच.डी. की उपाधि नहीं है, वे अधिकतम उपाचार्य (प्रवरण कोटि) के स्तर तक जा सकते हैं ।

10.1.3 प्रवक्ता के ग्रेड में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्ति हेतु विचार के पात्र होंगे ।

10.1.4 वृत्ति विकास के लिए चयन समिति का रूप वही होगा जो सीधी भर्ती हेतु प्रत्येक श्रेणी का है ।

10.2 **उपाचार्य (वरिष्ठ मान)**

10.2 किसी उपाचार्य का चयन प्रक्रिया के माध्यम से वरिष्ठ मान दिया जा सकता है यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं :

(i) एम.फिल और पी.एच.डी. के लिए क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष की छूट के साथ उसने नियमित नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ii) अनुमोदित अवधि के कम से कम एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम और कम से कम एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रतिभागी रहा हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट या अनुमोदित तुल्य गुणवत्ता के किसी अन्य उचित सतत् शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ा हो: बशर्ते कि पी.एच.डी. उपाधि धारकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से छूट दी गई हो; और

वर्तमान उपबन्ध

(iii) उसकी कार्यनिष्पादन रिपोर्ट लगातार संतोषजनक हो ।

10.3 **उपाचार्य (प्रवरण कोटि)**

वरिष्ठ मान में कार्यरत कोई आचार्य जिसके पास पी.एच.डी. की उपाधि अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य नहीं है एवं जो विद्वता तथा शोध मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु प्रवक्ता के पद की पात्रता की अन्य शर्तों को वह पूरा करता है और अध्यापन के क्षेत्र में उसने बेहतर कार्य किया है तथा, अधिमानत: उसने संस्थान के निगमित जीवन, परीक्षा कार्य, अथवा विस्तार गतिविधियों के क्षेत्र में अनेक प्रकार से योगदान दिया हो, उसे चयन समिति, जो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति की समिति जैसी ही है, की संस्तुतियों का प्रवरण कोटि में रखा जा सकता है । उसे प्रवरण कोटि में उपाचार्य का पदनाम दिया जाएगा ।पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर लेने और/अथवा प्रवक्ता के रूप में पदोन्नति के लिए अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् वह स्वयं को नए सिरे से आकलन हेतु प्रस्तुत कर सकता है और यदि उसे पात्र समझा जाता है तो उसे प्रवक्ता का पदनाम दिया जा सकता है ।

10.4 **प्रवक्ता (पदोन्नति)**

10.4.1 वरिष्ठ मान में कार्यरत कोई उपाचार्य प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति का पात्र होगा यदि उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :

(i) उसने वरिष्ठ मान में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ii) उसने पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हो या उसकी कोई समतुल्य प्रकाशित कृति हो;

(iii) विद्वत्ता और शोध के क्षेत्रों में ऐसी पहचान स्थापित की हो जिनका प्रमाण स्व आकलन, संदर्भित रिपोर्टों, प्रकाशनों की कोटि, शैक्षिक नवाचार में योगदान, नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने एवं विस्तार गतिविधि यों से मिलता हो;

(iv) वरिष्ठ मान में नियोजन के पश्चात्, कम से कम दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों या अनुमोदित अवधि के ग्रीष्म शिविरों में भाग लिया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित या विनिर्दिष्ट अन्य उचित सतत् शिक्षा कार्यक्रमों से संबद्ध रहा हो; तथा

(v) उसके कार्य निष्पादन की रिपोर्ट लगातार बेहतर रही हो ।

10.4.2 प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति विश्वविद्यालय के परिनियम 16 के अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी ।

10.5 **आचार्य (पदोन्नति)**

अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले आचार्य के स्वीकृत पदों के साथ-साथ प्रवक्ता के पद पर 8 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रवक्ता के पद से भी आचार्य के पद पर पदोन्नति की जाएगी ।

वर्तमान उपबन्ध

10.6 आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति की संरचना वही होगी जो सीधी भर्ती के लिए है । प्रवक्ता के पद से आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए निम्नलिखित पद्धति को अपनाया जाएगा :–

अभ्यर्थी निम्नलिखित के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा :

क. स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

ख. शोध कार्य/पुस्तकें/प्रकाशित लेख ।

ग. कोई अन्य शैक्षिक योगदान ।

[अध्यापक की सर्वश्रेष्ठ तीन कृतियों के तीन सेट (उसके द्वारा यथापरिभाषित) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ पहले ही जमा करवाए जाने चाहिए]

घ. ऐसी संगोष्ठियों/सम्मेलनों के रिकार्ड जिनमें भाग लिया हो ।

ड. अध्यापक या शैक्षिक पर्यावरण, सांस्थानिक अथवा सामूहिक जीवन के प्रति योगदान ।

च. विस्तार एवं कार्यक्षेत्र प्रभाव गतिविधियां ।

10.7 उपाचार्य से उपाचार्य (वरिष्ठ मान) तथा उपाचार्य (वरिष्ठ मान) से उपाचार्य (प्रवरण कोटि) में वृत्तिक विकास के लिए अभिविन्यास पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/ग्रीष्म शिविरों में सहभागिता, प्रत्येक की अवधि कम से कम 3 से 4 सप्ताह की हो तथा निरंतर संतोषजनक कार्य निष्पादन रिपोर्ट की आवश्यकता एक अनिवार्य आवश्यकता होगी ।

10.8 खंड 10.1 से 10.7 तक के वृत्तिक विकास योजना के प्रावधान यदि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित प्रतिमानक द्वारा शासित अध्यापकों के वृत्तिक विकास के संदर्भ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रतिमानकों और मार्गदर्शी सिद्धांतों से भिन्न होते हैं तो उन्हें संशोधित समझा जाए ।

11. पूर्व सेवा की गणना

11.1 किसी उपाचार्य को वरिष्ठ मान/प्रवरण कोटि में लाने के लिए उसके द्वारा उपाचार्य अथवा समकक्ष पद पर किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या अन्य वैज्ञानिक संगठनों जैसे सी.एस.आई.आर., आई.सी.ए.आर., रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आई.सी.एस.एस.आर, आई.सी.एच.आर. तथा विश्वविद्यालय अनुदान के शोध वैज्ञानिक के रूप में की गई अविरल सेवा की गणना पूर्व सेवा, यदि कोई हो तो, के लिए की जाएगी बशर्ते कि

11.1.1 उस पद का ग्रेड/वेतनमान विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के समान हो ।

11.1.2 उस पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं विश्वविद्यालय द्वारा उपाचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं से कम न हो ।

11.1.3 अध्यापक ने विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माध्यम से आवेदन किया हो ।

	वर्तमान उपबंध		अनुमोदित संशोधन
11.1.4	संबंधित उपाचार्य के पास विश्वविद्यालय द्वारा उपाचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हों ।		
11.1.5	विश्वविद्यालय में वह जिस पद पर वर्तमान में कार्यरत है वह पद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा गया हो ।		
11.1.6	वह नियुक्ति तदर्थ नहीं थी अथवा एक वर्ष की अवधि से कम की अवकाश रिक्ति के प्रति नहीं की गई थी । एक वर्ष से अधिक अवधि की तदर्थ सेवा की गणना की जा सकती है बशर्ते कि क. वह पदधारक विधिवत रूप से गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर नियुक्त किया गया हो; और ख. पदधारक द्वारा की गई तदर्थ सेवा में बिना किसी व्यवधान के उसका चयन स्थाई पद पर किया गया है ।		
11.2	प्रवक्ता (पदोन्नति) और आचार्य (पदोन्नति) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता पर विचार करते समय आवश्यक परिवर्तनों सहित उक्त खंड 11.1 के प्रावधान भी लागू होंगे ।		
16.	**अध्यापकों की अधिवर्षिता एवं पुनर्नियुक्ति**		
16.1	विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक स्थाई सेवा के अध्यापक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होंगे । जबकि किसी अध्यापक की जन्मतिथि माह की एक तारीख के अलावा किसी अन्य दिन को होती है तो वह उस माह की अंतिम तारीख को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा और जिसकी जन्मतिथि किसी माह की पहली तारीख को होती है तो वह उससे पूर्व माह की अंतिम तारीख को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा ।	16.1	विश्वविद्यालय की स्थाई पूर्णकालिक सेवा वाले अध्यापक 65 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होंगे । तथापि, 62 वर्ष की आयु के उपरांत किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा अध्यापकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की व्यापक/विस्तृत समीक्षा होगी । यदि समीक्षा करने पर यह पाया जाता है कि अध्यापक का कार्य-प्रदर्शन सही नहीं है तब वह 62 वर्ष की आयु पर स्वत: सेवानिवृत्त माना जाएगा । यद्यपि किसी अध्पायक की जन्मतिथि उस माह की प्रथम तिथि से भिन्न किसी भी तिथि पर पड़ती है तो वह उस माह के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होगा व जिस अध्यापक की जन्म तिथि किसी माह की प्रथम तिथि को पड़ती है तो वह पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त होगा ।
16.2	यदि प्रबंधन मंडल इस बात से संतुष्ट है कि किसी अध्यापक की सेवाएं विश्वविद्यालय के हित में हैं तो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अनुमोदन से, कुलपति की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किसी सेवानिवृत्त प्रख्यात अध्यापक के 60 वर्ष की आयु पर हुई सेवानिवृत्ति की अवधि को 62 वर्ष तक बढ़ा सकता है ।	16.2	प्रबंधन मंडल कुलपति की संस्तुति के आधार पर किसी सेवानिवृत्त ख्याति प्राप्त अध्यापक को 65 वर्ष की आयु के उपरांत 70 वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर पुन-र्नियुक्त कर सकता है । तथापि सेवानिवृत्ति की आयु के उपरांत पुनर्नियुक्ति पहली बार तीन वर्ष की सीमित अवधि के लिये सोच समझ कर चयन किया जाएगा और तत्पश्चात् पूर्ण रूप से उत्कृष्टता, अनुभव, विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर दो वर्ष की आगामी अवधि के लिये वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर होगी यदि प्रबंध मण्डल संतुष्ट है कि ऐसे अध्यापक की सेवाएं विश्वविद्यालय के हित में अपेक्षित/आवश्यक हैं ।
16.3	उप-खंड (2) के प्रावधानों के शर्ताधीन, किसी पुनर्नियुक्त अध्यपाक की सेवा निबंधन और शर्तें, जिनमें उसका वेतन और अन्य स्वीकार्य लाभ शामिल हैं (अवकाश को छोड़कर) प्रबंधन मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी		

वर्तमान उपबंध	अनुमोदित संशोधन
सिद्धांतों के अनुसार तय की जाएंगी ।	
16.4 कोई अध्यापक जिसने बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वह कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर अंशदायी भविष्य निधि और उपदान योजना से संबंधित अध्यादेश में यथानिर्धारित निबंधन और शर्तों पर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है ।	

उक्त संशोधन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के अनुमोदन की तिथि अर्थात् 11 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा ।

आदेश से,

डॉ. बी. पी. जोशी, कुल सचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 16th September, 2011

F. No. IPV/JR(C)/Statute/Amend./2011/245.—In pursuance of the provisions of sub-section (2) of Section 26 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of GGSIP University, with the prior approval of the Chancellor hereby makes the following partial amendments in (i) the age of superannuation of the Vice-Chancellor as prescribed in sub-clause (6) of the Statute 3(B) of the first statutes of the university under the heading—the Vice-Chancellor and (ii) Notification No. F.1 (26)/Stat/IPU/DRP/2004, dated 2nd December, 2004 related to service conditions including recruitment rules, incentives, increments and career advancement scheme, superannuation and re-employment of teachers as prescribed in clauses 8, 9, 10, 11 & 16 of Statute 31.

A. SUB-CLAUSE (6) OF FIRST STATUTE 3(B)

EXISTING PROVISION	APPROVED AMENDMENT
The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for not more than one term :	The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for not more than one term :
Provided that the person appointed as Vice-Chancellor shall, on completion of Sixty Five Years of age during his term of Office, cease to hold office.	Further provided that the person appointed as Vice-Chancellor shall, on completion of Seventy Years of age during his term of Office, cease to hold office.

B. CLAUSES 8, 9, 10, 11 & 16 OF STATUTE 31

EXISTING PROVISIONS	APPROVED AMENDMENT
8. PAY AND ALLOWANCES	
8.1 The teachers appointed by the University shall be in the grades that is to say Professor, Reader or Lecturer in so far as they take part in the teaching in the University and shall, except in the case of re-employed teachers, be paid salaries on such pay scales or at such stage of such pay scales and allowances, as the Board of Management may adopt or decide from time to time in accordance with the AICTE/U.G.C. guidelines, if any.	The Pay & Allowances, Incentives for Higher Qualifications, Annual Increments, Counting of Past Services and Career Advancement Scheme, shall be governed by the University's Regulation/Ordinance being formulated/on the subject on the guidelines of the UGC's Regulations.
8.2 INCENTIVES FOR HIGHER QUALIFICATIONS :	
8.2.1 At the time of recruitment as Lecturers, four and two advance increments will be admissible to those of the Science/Humanities faculty who hold Ph.D. and M.Phil. degrees respectively; and to those of the	

EXISTING PROVISIONS

Technical faculty who hold Ph.D. and M.E./M.Tech. degrees respectively. Candidates with D.Litt./D.Sc. shall be given benefit on par with Ph.D. and M. Litt. on par with M.Phil.

8.2.2 One increment will be admissible to those Science Humanities teachers with M.Phil. and to those Technical faculty with M.E./M.Tech. who acquire Ph.D. within two years of recruitment.

8.2.3 A Lecturer with Ph.D. will be eligible for two advance increments when she/he moves into Selection Grade/ Reader.

8.2.4 A teacher will be eligible for two advance increments as and when she/he acquires a Ph.D. degree in her/ his service career.

9. ANNUAL INCREMENTS

9.1 An annual grade increment shall be granted to each teacher as a matter of course from the 1st of the month in which it falls due unless it is with-held. An increment may be with-held if his/her conduct has not been good or his/her work has not been satisfactory, in the opinion of the appointing authority. No increment shall, however, be with-held without assigning the specific reasons in writing and without following the procedure laid down in this regard. A teacher shall have the right to appeal to the Board of Management against the decision to withhold his annual grade increment.

9.2 The following services in the stages of full time scale shall count for increment :

(i) Period of duty.

(ii) Service in another post, other than the post carrying less pay, whether in substantive or officiating capacity.

(iii) All kinds of leave other than extraordinary leave.

(iv) Extraordinary granted:—

(a) On medical certificate;

(b) Otherwise than on medical certificate due to inability of the employee to join duty on account of civil commotion or a similar reason;

(c) For prosecuting higher technical and scientific studies.

(v) Deputation out of India

(vi) Foreign service

(vii) Joining time

(viii) Period of training before appointment.

10. CAREER ADVANCEMENT

10.1.1 Minimum required length of service for eligibility for appointment on promotion as Lecturer (senior scale) shall be four years for those with Ph.D., five years for those with M.Phil, and six years for others as Lecturer, and for eligibility to move into the grade

EXISTING PROVISION

of Lecturer (selection grade) or Reader, the minimum required length of service as Lecturer (senior scale) shall be five years.

10.1.2 For movement into the post of Reader and above, the minimum eligible criteria would be Ph.D. Those without Ph.D. can go upto the level of Lecturer (selection grade).

10.1.3 A Reader with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as Professor.

10.1.4 The selection committees for career advancement shall be the same as those for direct recruitment for each category.

10.2 LECTURER (SENIOR SCALE)

A Lecturer will be eligible for placement in a senior scale through a procedure of selection, if she/he has :

(i) completed six years of service after regular appointment with relaxation of one year and two years respectively for M.Phil. and Ph.D.

(ii) participated in at least one orientation course and at least one refresher course of approved duration, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University: provided that those with Ph.D. degree shall stand exempted from the refresher course; and

(iii) has consistently satisfactory performance appraisal reports.

10.3 LECTURER (SELECTION GRADE)

A Lecturer in the Senior scale who does not have a Ph.D. degree or equivalent published work and who does not meet the scholarship and research standards, but fulfills the other eligibility criteria for the post of Reader and has a good record in teaching and, preferably, has contributed in various ways to the corporate life of the institution, examination work, or extension activities, will be placed in the selection grade, subject to the recommendations of the selection committee which is the same as for promotion to the post of Reader. He shall be designated as Lecturer in the selection grade. He can offer himself for fresh assessment after obtaining the degree of Ph.D. and/or fulfilling other requirements for promotion as Reader and, if found suitable, could be given the designation of Reader.

10.4 READER (PROMOTION)

10.4.1 A Lecturer in the senior scale will be eligible for promotion to the post of Reader if he/she has :

EXISTING PROVISION

(i) completed five years of service in the senior scale;

(ii) obtained a Ph.D. degree or has equivalent published work;

(iii) made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced, for example, by self assessment, reports of referees, quality of publications, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and extension activities.

(iv) after placement in the senior scale, participated in at least two refresher courses or summer institutes of approved duration, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission, and

(v) consistently good performance appraisal reports.

10.4.2 Promotion to the post of reader will be through a process of selection by a selection committee set up under statute 16 of the University.

10.5 PROFESSOR (PROMOTION)

In addition to the sanctioned posts of professors which will be filled in through direct recruitment through all India advertisement, promotion may also be made from readers to the post of professor after 8 years of service as reader.

10.6 The Selection Committee for promotion to the post of professor shall be the same as that for direct recruitment. For promotion from reader to the post of professor, the following method of promotion shall be followed :—

The candidate shall present himself / herself before the selection committee with the following :

(a) Self-appraisal reports.

(b) Research contribution/books/articles published.

(c) Any other academic contributions.

(Three sets of the best three written contributions of the teacher (as defined by him/her) shall be submitted by the candidate in advance along with the application.)

(d) Records of seminars/conferences attended.

(e) Contribution to teaching or academic environment, institutional or corporate life.

(f) Extension and field outreach activities.

10.7 The requirement of participation in orientation/ refresher courses/summer institutes as prescribed, each of at least 3 to 4 weeks duration and consistently satisfactory performance appraisal reports, shall be a mandatory requirement for career advancement from Lecturer to Lecturer (senior scale) and from Lecturer (senior scale) to Lecturer (selection grade).

EXISTING PROVISION	APPROVED AMENDMENT
10.8 The provisions of career advancement scheme as in clauses 10.1 to 10.7 shall stand modified, wherever necessary insofar as these are at variance with the norms and guidelines laid down by the All India Council for Technical Education for career advancement in respect of such teachers as are governed by the norms prescribed by A.I.C.T.E.	
11. COUNTING OF PAST SERVICE	
11.1 Previous service, if any, without any break as a lecturer or equivalent in a university, college, national laboratory, or other scientific organizations, e.g. CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR and as a UGC research scientist, shall be counted for placement of lecturer in senior scale/selection grade provided that	
11.1.1 the post had an equivalent grade/scale of pay as that of a lecturer in the University.	
11.1.2 the qualifications for the post were not lower than the qualifications prescribed by the University for the post of lecturer.	
11.1.3 the teachers applied to the University for appointment through proper channel.	
11.1.4 the concerned lecturer possesses the minimum qualifications prescribed by the University for appointment as lecturer.	
11.1.5 the post at which he is currently working in the University was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the University.	
11.1.6 the appointment was not adhoc or against a leave vacancy of less than one year's duration. Adhoc service of more than one year's duration can be counted provided that (g) The incumbent was appointed on the recommendation of a duly constituted selection committee; and (h) The incumbent was selected to the permanent post in continuation to the adhoc service without any break. (i) Provisions of clause 11.1 above will also be applicable mutatis mutandis while considering eligibility for promotion to the posts of reader (promotion) and professor (promotion).	
16. SUPERANNUATION AND RE-EMPLOYMENT OF TEACHERS	
16.1 Teachers in the permanent whole time service of the University shall retire on superannuation on completing the age of 62 years. While a teacher whose date of birth falls on any day other than the first day of the month, shall retire on superannuation on the last day of that month, one whose date of birth is the first day of a month, shall retire on superannuation on the last date of the previous month.	16.1 Teachers in the permanent whole time service of the University shall retire on the age of 65 years. However, there shall be a comprehensive review of the services rendered by the teachers by an Expert Committee after the age of 62 years. If on review it is found that the teacher has not performed well then he/she would automatically stand superannuated at the age of 62 years. While a teacher whose date of birth falls on any day other than the first

EXISTING PROVISION	APPROVED AMENDMENT
	day of the month, shall reitre on superannuation on the last day of that month, one whose date of birth is the first day of a month, shall retire on superannuation on the last date of the supereannuation month.
16.2 The Board of Management may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, re-employ a distinguished superannuated teacher after he has attained the age of 62 years for a suitable period according to the guidelines framed by the UGC up to the age of 65 years, if the Board of Management is satisfied that the services of such teacher are required in the interest of the University.	16.2 The Board of Management may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, re-employ a superannuated distinguished teacher on contractual basis beyond the age of 65 years and up to the age of 70 years. Re-employment beyond the age of superannuation shall, however, be done selectively, for a limited period of 3 years in the first instance and then for another further period of two years purely on the basis of merit, experience, area of specialization on year to year basis and if the Board of Management is satisfied that the services of such teacher are required in the interest of the University.

The above amendments shall come into force with effect from the date of approval of the Chancellor of the University, i.e., 11th April, 2011.

By Order,

Dr. B.P. JOSHI, Registrar